

अपील सं.-20/2024-

भैरुसिंह vs अमरसिंह

फर्द अहकाम (ई)

आज्ञा का
दिनांक

आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित

क्रमांक व दिनांक
पत्र जो इस आज्ञा
के पालनार्थ प्रेषित
किया गया

08.10.2025



पत्र. पेश हुई। वकील अपीलान्ट व रेस्पों.
सं. 01 उप.। रेस्पों. सं. 01 के वकील ने
पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा
मूल वाद संख्या 51/24 अनुवानी ब्रह्म
सिंह बनाम अमर सिंह वगैः दिनांक
26.03.2024 को निरस्त कर दिया है।
मूल वाद निरस्त होने से अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त
हो चुका है, जिससे उपरोक्त अनुवानी
अपील निष्फल हो चुकी है। इस
कारण यह अपील निरस्त फरमाई जावे।
वकील अपीलान्ट के द्वारा रेस्पों. वकील
के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने
हेतु बार-बार अवसर प्रदान किए गए,
जिसके बावजूद आदिनांक तक लिखित
जवाब पेश नहीं किया गया। वकील
अपीलान्ट ने मौखिक रूप से रेस्पों.
वकील के प्रार्थना पत्र पर सहमति
जताई। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र की अपील कानून फलहीन
हो जाने से खारिज की जाकर
दाखिल दफ्तर की जाती है। फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं
राजस्व अपील अधिकारी, वीकानेर